



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



24 AASHWIN, 1945 (S)

No. 609

RANCHI, MONDAY 16TH OCTOBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
16TH October, 2023

Notification No.- 10/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 40, Dated 16th October, 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, on being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.26/2018-State Tax (Rate), dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 4, dated the 24th January, 2019, namely: -

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, for the phrase “paragraph 4.41”, the phrase “paragraph 4.40”, shall be substituted;

(B) in the Explanation, -

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

“(a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No.

1/2023 dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 1565 (E). dated the 31st March, 2023;”

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

“(b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 01/2023 dated the 1st April, 2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 *vide* F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell dated the 1st April, 2023;”

2. This notification shall be deemed to be effective from the 27th July, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,

Secretary,

Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No. 26/2018 - State Tax (Rate), dated the 24th January, 2019 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 4, dated the 24th January, 2019 and was last amended by notification No. 17/2019 - Central Tax (Rate), dated the 1st November, 2019 *vide* published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 85, dated the 1st November, 2019 .

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना सं०. 10/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 40, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023--झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जनवरी, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 4, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश “पैराग्राफ 4.41” के स्थान पर, वाक्यांश “पैराग्राफ 4.40” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित “विदेश व्यापार नीति, 2023” से है।”

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की फा.सं. 01/75/171/00016/एम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जनवरी, 2019 को एस. ओ. सं. 4, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 1 नवम्बर, 2019, एस. ओ. सं. 85, दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।
